अपील सिविल

समक्ष डी. के. महाजन, जे.

पारबती, - *अपीलकर्ता*

बनाम

बिजे सिंह और अन्य, *उत्तरदाता*

1959 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 1250

6 फरवरी, 1969

रिवाज (पंजाब)-उत्तराधिकार- *चुंडा वार्ड आधार* पर पैतृक संपत्ति का विभाजन- *एक समूह के उत्तराधिकारी विलुप्त नहीं हुए हैं- दूसरे समूह के उत्तराधिकारी*- क्या पूर्व की संपत्तियों में सफल हो सकते *हैं- पोती*- जो कोल-लेटरल्स की तुलना में दादा की संपत्ति में सफल *हो सकता है*- सेक्स- क्या इस तरह के उत्तराधिकार पर रोक है।

निर्धारित किया गया कि यदि आम पूर्वज की मृत्यु पर पैतृक संपत्ति का प्रारंभिक विभाजन *चुंडावंड* नियम के आधार पर होता है, तो एक समूह के वंशज उस समूह में वंशजों के विलुप्त होने पर ही दूसरे समूह में सफल हो सकते हैं। पूरे रक्त में आधा रक्त शामिल नहीं होता है और जब तक पूरे रक्त में उत्तराधिकारी समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक आधा रक्त सफल नहीं होता है। (पैरा 6 & 7)

निर्धारित किया गया कि पंजाब में प्रतिनिधित्व के नियम को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है, चाहे पार्टियां रिवाज द्वारा शासित हों या नहीं, और इस नियम की मान्यता का तार्किक परिणाम यह है कि एक पोती दादा के उत्तराधिकार के मामले में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करती है, बशर्ते बेटी अन्यथा पैतृक संपत्ति में सफल होने की हकदार हो। सेक्स नहीं है, इस तरह के प्रतिनिधित्व पर रोक है। एक बेटी पिता की स्व-अर्जित संपत्ति के लिए एक अधिमान्य उत्तराधिकारी है और पिता की पांचवीं डिग्री संपार्श्विक की अनुपस्थिति में आम तौर पर पैतृक संपत्ति में भी सफल होती है। हालांकि, एक पोती दादाजी के उत्तराधिकार के लिए संपार्श्विक को बाहर कर देगी , अगर संपार्श्विक पूरे रक्त के नहीं बल्कि आधे रक्त के हैं। (पैरा 6 & 7)

श्री एच. एस. भंडारी, जिला न्यायाधीश, रोहतक के दिनांक 1 अप्रैल, 1959 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, जिसमें श्री मोहन लाल जैन, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहतक *द्वारा दिनांक 21* जुलाई, *1958* को वादी *के वाद को खारिज करते हुए पुष्टि की गई थी।*

के आसपास। बड़ा। अग्रवाल, वकील, अपीलकर्ता के लिए

राम रंग, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 के लिए

के.के. कुकरिया और एस.पी. जैन, वकील, उत्तरदाता 2 से 23 के लिए

निर्णय

महाजन, जे- यह दूसरी अपील वादी के मुकदमे को खारिज करते हुए नीचे दिए गए न्यायालयों के समवर्ती निर्णय के खिलाफ निर्देशित की जाती है।

2. वादी, श्रीमती पार्बती, भरत सिंह की बेटी है, जिसकी मृत्यु उसके पिता मोलर के जीवनकाल के दौरान हो गई थी। भरत सिंह की मृत्यु के बाद, उनके भाई सूरत सिंह उनके उत्तराधिकारी बने, और सूरत सिंह की मृत्यु पर, उनकी मां श्रीमती धुंधन, मोलर की विधवा, उनकी मां के रूप में सफल हुईं। श्रीमती धुंधन का निधन 1 फरवरी, 1955 को हुआ। प्रतिवादी, जो मोलर के चौथे डिग्री संपार्श्विक हैं, श्रीमती धुंधन की मृत्यु के बाद अपने नाम में उत्परिवर्तन दर्ज करने में सफल रहे। इसके कारण भरत सिंह की पुत्री श्रीमती पार्बती ने वर्तमान मुकदमा दायर किया। वह दावा करती है कि वह अपने दादा की संपार्श्विक को वरीयता देते हुए संपत्ति में सफल होने की हकदार है। नीचे दी गई दोनों अदालतों ने रोहतक जिले के रिवाज-ए-एम पर भरोसा करते हुए, उसके दावे को खारिज कर दिया है। इसलिए वादी द्वारा वर्तमान दूसरी अपील।

3. अपीलकर्ता के वकील चिरंजीव लाल अग्रवाल ने दो दलीलें दी हैं। पहला विवाद यह है कि दौलत, सामान्य पूर्वज की मृत्यु के बाद संपत्ति का विभाजन, *चुंडावंड* के आधार पर था।संपत्ति का आधा हिस्सा दौलत के वंशजों के पास एक पत्नी से आया और दूसरा आधा दूसरी पत्नी से उनके वंशजों के पास चला गया। मोलर द्वारा आयोजित संपत्ति उस शाखा से संबंधित है जिसे *चुंडावंड* के नियम से संपत्ति का आधा हिस्सा मिला था, जबकि प्रतिवादी दूसरी शाखा से संबंधित हैं जिसे संपत्ति का दूसरा आधा हिस्सा मिला था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि कुछ प्रतिवादी मोलर के समान शाखा में हैं, लेकिन वे आत्मीय हैं, और इसलिए, उनके दावे को मोलर की पोती के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं माना जा सकता है। वास्तव में हमारे पास वास्तव में प्रतिवादी बचे हैं जो दौलत के बेटों चनन सिंह, प्रेम सुख और शाम सुख के वंशज हैं। उनके *संबंध में* श्रीमती पार्बती के दावे पर विचार किया जाना चाहिए। विद्वान वकील द्वारा यह कहा जाता है कि **नबी बख्श और अन्य *अहमद खान और अन्य***[1] मामले में *प्रिवी काउंसिल के फैसले को ध्यान में रखते* हुए । *और* **जावला और अन्य *साधु सिंह और अन्य***[2] *में इस न्यायालय के* मामले, पूरे रक्त में आधा रक्त शामिल नहीं होगा। प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप ने अंततः तय किया कि जहां उत्तराधिकार *चुंडावंड* शासन के आधार पर है, जब तक कि एक समूह में उत्तराधिकारी विलुप्त नहीं होते हैं, तब तक दूसरे समूह के उत्तराधिकारी पूर्व समूह की संपत्तियों में सफल नहीं होंगे।

4. विद्वान वकील का दूसरा तर्क यह है कि श्रीमती पार्बती, पोती होने के नाते, चौथे डिग्री संपार्श्विक के बजाय अपने दादा की संपत्ति में सफल होने की हकदार है, संपत्ति गैर-पैतृक है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री राम रंग का तर्क है कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए पहले विवाद को नीचे किसी भी न्यायालय में नहीं उठाया गया था और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे

[1] ए.आई.आर. 1924 पी.सी. 117
[2] ए.आई.आर. 1950 ई.पी. 15

विवाद के बारे में, विद्वान वकील का कहना है कि संपत्ति पैतृक होने के नाते - जैसा कि नीचे की अदालतों द्वारा पाया गया है, चौथी डिग्री संपार्श्विक पोती को वरीयता देते हुए इसमें सफल होने का हकदार होगा, पोती को प्रथागत कानून के तहत मोलर का उत्तराधिकारी मानते हुए।

6. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील की पहली दलील सफल होनी चाहिए। नीचे दिए गए न्यायालयों ने पाया है कि दौलत की मृत्यु पर संपत्ति *चुंडावंद* नियम के अनुसार घूमती है । इसलिए, पूरे रक्त में आधे रक्त को बाहर कर दिया जाएगा और जब तक पूरे रक्त में उत्तराधिकारी समाप्त नहीं हो जाते, तब तक आधा रक्त सफल नहीं होगा। यह तर्क विशुद्ध रूप से कानून का होने के कारण दूसरी अपील में भी विचार किया जा सकता है और इसलिए, श्री राम रंग के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि इस बिंदु को विशेष रूप से नीचे के न्यायालयों में उत्तेजित नहीं किया गया है, इसलिए दूसरी अपील में उत्तेजित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मामले के दृष्टिकोण में दूसरा विवाद नहीं उठता, लेकिन, मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिए, मैं उस पर अपनी राय व्यक्त कर सकता हूं।

7. मेरे समक्ष इस बात पर बहस हुई थी कि पोती दादा की उत्तराधिकारी नहीं होती है, लेकिन रोहतक जिले के प्रथागत कानून से मुझे पता चलता है कि पुरुष वंशजों के बीच प्रतिनिधित्व के नियम को मान्यता प्राप्त है: प्रश्न 45 और उसका उत्तर देखें। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि सेक्स प्रतिनिधित्व के लिए कोई बाधा नहीं है: इस संबंध में *हशमत ऑल और एक अन्य बनाम नसीब-उन-निसा* [3] मामले *में प्रिवी काउंसिल का निर्णय देखें*।। इसके अलावा, जैसा कि टेक चंद, जे. ने *मंगत* बनाम मंगत[4] *में देखा* है।, "* * * रोहतक, करनाल और गुड़गांव जिलों की उच्च जाति की हिंदू जनजातियों के बीच मिताक्षरा के सख्त नियम का पालन नहीं किया जाता है, जहां एक भतीजा चाचा के साथ मृतक संपार्श्विक की संपत्ति में सफल होता है। विद्वान न्यायाधीश ने *मेहताब-उद-दीन* बनाम *अब्दुल्ला* (5)[5] *भारत में लाई चंद, जे की टिप्पणियों का पालन किया।* अधिकारियों की समीक्षा के बाद लाई चंद ने कहा कि "प्रतिनिधित्व का प्रथागत नियम न्यायिक जांच के साथ-साथ अनुभव द्वारा पूरे प्रांत में आम तौर पर कृषकों के साथ-साथ गैर-कृषकों के बीच प्रचलित पाया गया है, जब भी मामला विवादित था, और इसके विपरीत एक भी मामले का पता नहीं लगाया जा सकता है या उद्धृत नहीं किया गया था। इसलिए, धारणा यह हो सकती है कि वर्तमान मामले के पक्षकारों द्वारा आम तौर पर प्रचलित एक प्रथा का भी पालन किया गया था। इसलिए, ऐसा प्रतीत होगा कि पंजाब में प्रतिनिधित्व के शासन को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त है, चाहे पार्टियां रिवाज द्वारा शासित हों या नहीं, और इस नियम की मान्यता का तार्किक परिणाम यह होगा कि एक पोती दादा के उत्तराधिकार के मामले में अपने पिता का प्रतिनिधित्व करेगी, बशर्ते बेटी अन्यथा पैतृक संपत्ति में सफल होने

[3] आई.एल.आर. 117

[4] ए.आई.आर. 1942 27 लाहौर

[5] 140 पी.आर. 190

की हकदार हो। *सुश्री सुभानी* बनाम *नवाब*[6] *प्रिवी में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद।*, अब यह अच्छी तरह से तय है कि एक बेटी पिता की स्व-अर्जित संपत्ति का अधिमान्य उत्तराधिकारी है और पिता की पांचवीं डिग्री संपार्श्विक की अनुपस्थिति में आम तौर पर पैतृक संपत्ति में भी सफल होती है। वर्तमान मामले में संपार्श्विक पांचवीं डिग्री के भीतर हैं और इसलिए, नीचे दिए गए न्यायालयों के फैसले में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है कि यदि प्रतिवादी पूरे खून के थे तो वे स्वाभाविक रूप से बेटी (वादी) को मोलर में सफल होने से बाहर कर देंगे। इसलिए, जहां तक मोलर के उत्तराधिकार में प्रतिवादियों को बाहर करने के वादी के अधिकार का संबंध है, मैं नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णय की पुष्टि करता हूं, बशर्ते कि यह आगे पाया गया कि प्रतिवादी पूरे खून के थे, न कि आधे खून के। मेरी इस खोज को ध्यान में रखते हुए कि आम पूर्वज की मृत्यु पर प्रारंभिक विभाजन *चुंडावंड* नियम के आधार पर था, एक समूह के वंशज दूसरे समूह में केवल उस समूह में वंशजों के विलुप्त होने पर सफल हो सकते हैं, और यह कि ऐसा नहीं होने के कारण वादी सफल होने का हकदार होगा।

8. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, मैं इस अपील को स्वीकार करता हूं, नीचे दिए गए न्यायालयों के निर्णयों और डिक्री को खारिज करता हूं और वादी के मुकदमे की डिक्री करता हूं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

रजत अरोड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी

[6] आई.टी.आर. 1941 लाह. 154 (पी.सी.)